



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)



मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: हि.अ./ति.प्र.रि./संगठन/2018/

दिनांक: 12 SEP 2018

सेवा में,

सभी आंचलिक (जोनल) कार्यालय,

सभी क्षेत्रीय कार्यालय,

पीडीयूएनएसएस सहित सभी आं.प्र.सं. एवं उप आं.प्र.सं.

विषय: 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में।

महोदय/महोदया,

30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों पीडीयूएनएसएस, आंचलिक/उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई समीक्षा रिपोर्ट एतद्वारा संलग्न है। समीक्षा रिपोर्ट में राजभाषा निष्पादन में पाई गई कमियों को दर्शाया गया है। ऐसे कार्यालय जिनकी रिपोर्ट सही है तथा राजभाषा संबंधी निष्पादन भी उच्च श्रेणी का है को उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा श्रेणी प्रदान की गई है। कुछ कार्यालयों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। ऐसे कार्यालय जिनकी रिपोर्ट की समीक्षा में निष्पादन संबंधी कमियां पाई गई हैं, से अनुरोध है कि राजभाषा निष्पादन में कोताही ना बरतें तथा समीक्षा रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करते हुए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करने के भरपूर प्रयास करें।

{अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.) / प्रभारी राजभाषा के अनुमोदन से जारी।}

भवदीया,

(वीणा रानी यादव)

उप निदेशक (राजभाषा)

30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग-1 की समीक्षा के संबंध में।

क्र.सं	कार्यालय का नाम	समीक्षा टिप्पणी
1.	मुख्यालय दिल्ली	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
2.	नाटूरस	बहुत अच्छा
3.	आं.प्र.सं. फरीदाबाद	उत्कृष्ट
4.	आं.प्र.सं. चेन्नै	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।
5.	आं.प्र.सं. कोलकाता	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।
6.	आं.प्र.सं. उज्जैन	उत्कृष्ट
7.	उप- आं.प्र.सं. शिलांग	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। कार्यशाला का आयोजन नहीं। हिंदी पत्राचार बढ़ाया जाए। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
8.	दिल्ली एवं उत्तराखंड (जोनल ऑफिस) दिल्ली	बहुत अच्छा
9.	दिल्ली (पूर्व)	बहुत अच्छा
10.	दिल्ली (पश्चिम)	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
11.	दिल्ली (केन्द्रीय)	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
12.	दिल्ली (उत्तर)	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है।
13.	दिल्ली (दक्षिण)	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
14.	देहरादून	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है।
15.	हल्द्वानी	राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। 'ग' क्षेत्र के साथ हिंदी पत्राचार बढ़ाया जाए। अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की स्थिति को सुधारा जाए।
16.	उत्तर प्रदेश (जोनल कार्यालय) कानपुर	अप्रप्त
17.	आगरा	बहुत अच्छा
18.	कानपुर	अप्रप्त
19.	लखनऊ	कार्यशाला का आयोजन नहीं।
20.	मेरठ	बहुत अच्छा
21.	नोएडा	बहुत अच्छा
22.	वाराणसी	बहुत अच्छा
23.	इलाहाबाद	रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। कार्यशाला का आयोजन नहीं।
24.	बरेली	अप्रप्त
25.	गोरखपुर	बहुत अच्छा
26.	हरियाणा (जोनल ऑफिस) फरीदाबाद	हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।
27.	फरीदाबाद	उत्कृष्ट
28.	गुडगाँव-I	उत्कृष्ट
29.	गुडगाँव-II	--
30.	करनाल	कार्यशाला का आयोजन नहीं। पत्राचार के आंकड़ों की पुनः जांच करें।
31.	रोहतक	बहुत अच्छा
32.	राजस्थान (जोनल ऑफिस) जयपुर	उत्कृष्ट
33.	जयपुर	उत्कृष्ट
34.	जोधपुर	उत्कृष्ट
35.	उदयपुर	उत्कृष्ट
36.	कोटा	उत्कृष्ट
37.	बिहार एवं झारखंड (जोनल	उत्कृष्ट

	ऑफिस) पटना	
38.	जमशेदपुर	उत्कृष्ट
39.	पटना	उत्कृष्ट
40.	रांची	उत्कृष्ट
41.	भागलपुर	उत्कृष्ट
42.	मुजफ्फरपुर	उत्कृष्ट
43.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (जोनल ऑफिस) भोपाल	उत्कृष्ट
44.	भोपाल	उत्कृष्ट
45.	इंदौर	उत्कृष्ट
46.	जबलपुर	टिप्पणी के आंकड़े दर्शाए जाएं।
47.	रायपुर	उत्कृष्ट
48.	ग्वालियर	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। सभी कागजात द्विभाषी में जारी करें। कार्यशाला का आयोजन नहीं। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
49.	सागर	पत्राचार के दिए गए आंकड़ों की जांच करें। पत्राचार में लेखा, पेंशन, क्षतिपूर्ति आदि सभी अनुभागों का पत्राचार शामिल होना चाहिए।
50.	उज्जैन	उत्कृष्ट
	ख क्षेत्र	
51.	पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (जोनल ऑफिस) चंडीगढ़	उत्कृष्ट
52.	भटिंडा	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। 'ग' क्षेत्र के साथ हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
53.	चंडीगढ़	उत्कृष्ट
54.	जालंधर	बहुत अच्छा
55.	लुधियाना	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। सभी कागजात द्विभाषी में जारी करें।
56.	अमृतसर	उत्कृष्ट
57.	शिमला (क क्षेत्र)	उत्कृष्ट
58.	मुंबई -1 (जोनल ऑफिस) बांद्रा	उत्कृष्ट
59.	बांद्रा-I	बहुत अच्छा
60.	बांद्रा-II	--
61.	बांद्रा-III	--
62.	बांद्रा-IV	--
63.	मुंबई -2 ((जोनल ऑफिस) थाणे	हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए। रा.भा.का.स. की बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
64.	कांदीवली-I	उत्कृष्ट
65.	कांदीवली-II	--
66.	थाणे -I	उत्कृष्ट
67.	थाणे -II	--
68.	वाशी	पत्राचार के आंकड़ों की फिर से जांच करें। पत्राचार के दिए गए आंकड़ों की जांच करें। पत्राचार में लेखा, पेंशन, क्षतिपूर्ति आदि सभी अनुभागों का पत्राचार शामिल होना चाहिए।
69.	महाराष्ट्र (जोनल ऑफिस) (मुंबई को छोड़कर) पुणे	हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।
70.	पुणे-I	उत्कृष्ट
71.	पुणे-II	--
72.	औरंगाबाद	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर देने की स्थिति को सुधारा जाए।

73.	कोल्हापुर	राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
74.	नागपुर	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है।
75.	नामिक	'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर देने की स्थिति को सुधारा जाए। आंकड़े पूरे दें।
76.	शोलापुर	बहुत अच्छा
77.	अकोला	'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर देने की स्थिति को सुधारा जाए।
78.	गुजरात (जोनल ऑफिस) अहमदाबाद	उत्कृष्ट
79.	अहमदाबाद	कार्यशाला का आयोजन नहीं।
80.	भरुच	बहुत अच्छा
81.	नरोडा	उत्कृष्ट
82.	राजकोट	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर देने का प्रयास किया जाए।
83.	सूरत	'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। पावती अवश्य हिंदी में भेजें।
84.	वडोदरा	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
85.	वटवा	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
86.	वापी	बहुत अच्छा
	ग क्षेत्र	
87.	आंध्र प्रदेश (जोनल ऑफिस)विजयवाडा	धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। हिंदी में पत्राचार आरंभ किया जाए। कार्यशाला का आयोजन नहीं।
88.	गुंटूर	हिंदी में टिप्पण लेखन बढ़ाया जाए।
89.	कडप्पा	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
90.	राजमुंद्री	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
91.	विशाखापट्टनम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
92.	बंगलौर (जोनल ऑफिस) बंगलौर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
93.	बंगलौर-I	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
94.	बंगलौर-II	--
95.	बोम्मसंद्रा-I	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
96.	बोम्मसंद्रा-II	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
97.	के आर पुरम	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
98.	पीन्या	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
99.	आर आर नगर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
100.	तुमकुर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
101.	येलाहांका	रिपोर्ट में तथ्यपरक आंकड़े दिए जाएं।
102.	चेन्नई एवं पुदुचेरी (जोनल ऑफिस)	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
103.	अंबातूर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
104.	चेन्नई-I	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
105.	चेन्नई-II	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।

106.	तांबरम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के साथ हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
107.	वैल्लोर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
108.	पुदुचेरी	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
109.	कर्नाटक (बंगलोर के अलावा अन्य) एवं गोवा (जोनल ऑफिस) हुबली	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
110.	गोवा	उत्कृष्ट
111.	हुबली	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
112.	मंगलौर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
113.	मैसूर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
114.	बेल्लारी	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
115.	चिकमंगलूर	कार्यशाला का आयोजन नहीं। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
116.	गुलबर्गा	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
117.	रायचूर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
118.	शिमोगा	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
119.	उडुपि	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी में पत्राचार बढ़ाया जाए। पत्राचार के आंकड़े 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के अनुसार दिए जाएं।
120.	केरल एवं लक्ष्यद्वीप (जोनल ऑफिस) त्रिवेंद्रम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी पत्राचार में वृद्धि की जाए।
121.	कालीकट	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
122.	कोच्चि	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
123.	त्रिवेंद्रम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
124.	कन्नूर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
125.	कोल्लम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
126.	कोट्टायम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
127.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र (जोनल ऑफिस) गुवाहाटी	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
128.	गुवाहाटी	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
129.	अगरतला	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
130.	शिलांग	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
131.	तिनसुकिया	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी में पत्राचार बढ़ाया जाए।
132.	ओडिशा (जोनल ऑफिस) भुवनेश्वर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
133.	भुवनेश्वर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। हिंदी में पत्राचार बढ़ाया जाए।
134.	राउरकेला	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
135.	ब्रह्मपुर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
136.	क्योंझर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
137.	तमिल नाडु (चेन्नई को छोड़कर) (जोनल ऑफिस) कोयम्बतूर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
138.	कोयम्बतूर	बहुत अच्छा
139.	मदुरै	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन

		तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
140.	सेलम	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
141.	तिरुनेलवेली	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
142.	त्रिची	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
143.	नागरकोइल	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
144.	तेलंगाना (जोनल ऑफिस) हैदराबाद	बहुत अच्छा
145.	हैदराबाद-I	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
146.	हैदराबाद-II	--
147.	कुक्कटपली	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार शून्य है, कृपया पुष्टि करें।
148.	पट्टनचेरू	कार्यशाला का आयोजन नहीं। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
149.	निजामाबाद	कार्यशाला का आयोजन नहीं। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
150.	करीमनगर	कार्यशाला का आयोजन नहीं। कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं।
151.	सिद्धिपेट	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
152.	वारंगल	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
153.	प.बं., अ. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (जोनल ऑफिस) कोलकाता	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यशाला का आयोजन नहीं।
154.	बैरकपुर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
155.	दुर्गापुर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यशाला का आयोजन नहीं।
156.	हावड़ा	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
157.	जलपाईगुड़ी	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
158.	जंगीपुर	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
159.	कोलकाता	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। कार्यशाला का आयोजन नहीं।
160.	पार्क स्ट्रीट	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
161.	सिलिगुड़ी	हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए। रा.भा.का.स बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।
162.	दार्जिलिंग	कार्यालय द्वारा तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या अत्यंत कम है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें कि इसमें लेखा, अनुपालन तथा पेंशन के पत्र शामिल हैं अथवा नहीं। हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाया जाए।
163.	पोर्ट ब्लेयर	रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं, इन्हें ठीक करके दोबारा रिपोर्ट भेजी जाए।

जिन कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई :-

आं.का. कानपुर, क्षेत्र.का. कानपुर, क्षेत्र.का. बरेली

धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले कार्यालय :-

आं.प्र.सं. चेन्नै, उप-आं.प्र.सं.- शिलांग, क्षेत्र.का. दिल्ली (केन्द्रीय), क्षेत्र.का. दिल्ली (उत्तर), क्षेत्र.का. दिल्ली (दक्षिण), क्षेत्र.का. दिल्ली (पश्चिम), क्षेत्र.का. देहरादून, क्षेत्र.का. ग्वालियर, क्षेत्र.का. भटिंडा, क्षेत्र.का. लुधियाना, क्षेत्र.का. औरंगाबाद, क्षेत्र.का. नागपुर, क्षेत्र.का. बटवा, आं.का. विजयवाड़ा

राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-5 का उल्लंघन करने वाले कार्यालय:-

उप आं.प्र.सं. शिलांग, क्षेत्र.का. हल्द्वानी, क्षेत्र.का. कोल्हापुर

निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा पिछली तिमाही में भी धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया था जिसके लिए उन्हें पत्र लिखा गया था परंतु पाया गया है समीक्षाधीन तिमाही में इन कार्यालयों द्वारा पुनः धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है :-

उप-आं.प्र.सं.- शिलांग, क्षेत्र.का. दिल्ली (दक्षिण), क्षेत्र.का. जबलपुर, क्षेत्र.का. रायपुर, क्षेत्र.का. भटिंडा, क्षेत्र.का. लुधियाना, क्षेत्र.का. बटवा